अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम किशनगढ़ अजमेर)

व इजलास श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 167/2023 उनवान हेमराज बनाम सोदान

1. हेमराज पुत्र छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बृजपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–वादी

बनाम

1. सोदान पुत्र श्रवणलाल
2. कैलाश पुत्र घासी
3. जमना पत्नी घासी
4. तेजू पुत्र घासी
5. राजू पुत्र घासी
6. लालचन्द पुत्र घासी
7. श्रवण पुत्र घासी
8. सुरजमल पुत्र घासी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।
10. उपपंजीयक किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

–प्रतिवादीगण

•अन्तिम डिकी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राज.का. अधि. 1955•

मुकदमा नम्बर (167/2023) उनवान हेमराज बनाम सोदान

निर्णय दिनांक 24.12.2024

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध में जारी बंटवारा आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.09.2024 के संबंध में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस के क्रम में मौका कमिश्नर तहसीलदार किशनगढ द्वारा ग्राम कुचील स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 225 रकबा 1.7474 हैक्टैयर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस के आधार पर कमीश्नर रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा कर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है, उक्त बंटवारे में कमीश्नर रिपोर्ट एवम् संलग्न मानचित्र अन्तिम डिक्री का एक भाग होगा। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री की जाकर वाद अधीन भूमि का निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है-

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टैयर में	किस्म	लगान	रंग
1.	हेमराज पुत्र छीतर कौम गुर्जर निवासी बृजपुरा खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ खातेदार	225 225/2	0.4449 हैक्टेयर 0.4260 हैक्टेयर	चाही ए बा.अ. चाही अ 0.1618 बा.अ. 00.0536 चाही ए 0.2104	30.23	हरा
	कुल किता 02 कुल रकबा 00.8709 हैक्टेयर					
2.	कैलाश पुत्र घासी, जमना पत्नी घासी, तेजू पुत्र घासी, राजू पुत्र घासी, लालचन्द पुत्र घासी, श्रवण पुत्र घासी, सुरजमल पुत्र घासी हिस्सा 2/3	225/3	0.8709 हैक्टेयर	चाही ए 0.6553 बा.अ. 0.1618 बा.अ. 00.0536	30.23	काला

	कौम माली, सोदान पुत्र श्रवण हिस्सा 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार					
	कुल किता 01 कुल रकबा 00.8709 हैक्टेयर					
3.	हेमराज पुत्र छीतर हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी बृजपुरा खातेदार राहिन एच. डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ, कैलाश पुत्र घासी, जमना पत्नी घासी,तेजू पुत्र घासी, राजू पुत्र घासी, लालचन्द पुत्र घासी, श्रवण पुत्र घासी, सुरजमल पुत्र घासी हिस्सा 1/3 कौम माली, सोदान पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	225/1	0.0056 हैक्टेयर	बा.अ. रास्ता	–	सुनहरा
	कुल किता 01 कुल रकबा 00.0056 हैक्टेयर					

असप्त आज दिनांक 24.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

बनाम

1. सोदान पुत्र श्रवणलाल
2. कैलाश पुत्र घासी
3. जमना पत्नी घासी
4. तेजू पुत्र घासी
5. राजू पुत्र घासी
6. लालचन्द पुत्र घासी
7. श्रवण पुत्र घासी
8. सुरजमल पुत्र घासी
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय किशनगढ जिला अजमेर राज.।
10. उपपंजीयक किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक 24.12.2024

उपस्थित : वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188,209 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम कुचील स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 225 रकबा 1.7474 हैक्टैयर स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 से 08 का पृथक पृथक 1/21 हिस्सा अंकित है तथा मोके पर रास्ते के अनुसार सभी काबिज काश्त हैं, लेकिन वादअधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 वादी के कृषि कार्य में दखल करके उसके उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर बंटवारा कर दिया जावे।

वादी का वाद दिनांक 14.07.2023 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकील श्री बृजेश जोशी उपस्थित हुये तथा जवाबदावा पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 को अपने पूर्व खातेदार से क्रय की दिनांक से आज दिन तक आराजी खसरा संख्या 225 ग्राम कुचील दक्षिणी पश्चिम आराजी पर मौके पर काबिज काश्त है उसी के अनुसार विधिक विभाजन कर दिया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 191 राज. भू.राज. अधि.के तहत पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादी का वाद खारिज किये जाने की कृपा करें क्योंकि वादी ने ग्राम कुचील के खसरा संख्या 225 का सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन नहीं चाह कर केवल सात सहखातेदारों के मध्य विभाजन चाहा है जिसका अनुपात असमान है अतः वादी का वाद असमान अनुपात विभाजन के आधार पर खारिज किये जाने की कृपा करें।

दिनांक 20.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 02 से 08 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 02.09.2024 को प्रकरण के तनकीयात कायम की गई तथा वादी की साक्ष्य लेकर वाद में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। दिनांक 25.09.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया जिसपर वकील वादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई । दिनांक 20.11.2024 को वकील उभयपक्ष की मूल वाद पर बहस सुनी गई। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, वकील वादी

दी की बहस तथा तनकीयात के आधार पर वादअधीन भूमि ग्राम कुचील स्थित खसरा संख्या वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके अंकित हिस्से के (वादी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 08 का पृथक पृथक 1/21 हिस्सा) अनुसार अच्छी में च्छी एवं बुरी में से बुरी बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाता है। उक्त वारे में तहसीलदार किशनगढ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तथा संलग्न नक्शा अंतिम आदेश का एक भाग गें।

क्र.सं	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान	रंग
1.	हेमराज पुत्र छीतर कौम गुर्जर निवासी बृजपुरा खातेदार राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ खातेदार	225 225/2	0.4449 हैक्टेयर 0.4260 हैक्टेयर	चाही ए चा.अ. चाही अ 0.1618 बा.अ. 00.0538 चाही ए 0.2104	30.23	हरा
	कुल किता 02 कुल रकबा 00.8709 हैक्टेयर					
2.	कैलाश पुत्र घासी, जमना पत्नी घासी, तेजू पुत्र घासी, राजू पुत्र घासी, लालचन्द पुत्र घासी, श्रवण पुत्र घासी, सुरजमल पुत्र घासी हिस्सा 2/3 कौम माली, सोदान पुत्र श्रवण हिस्सा 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार	225/3	0.8709 हैक्टेयर	चाही ए 0.6553 चा.अ. 0.1618 बा.अ. 00.0538	30.23	काला
	कुल किता 01 कुल रकबा 00.8709 हैक्टेयर					
3.	हेमराज पुत्र छीतर हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी बृजपुरा खातेदार राहिन एच. डी.एफ.सी. बैंक शाखा किशनगढ, कैलाश पुत्र घासी, जमना पत्नी घासी,तेजू पुत्र घासी, राजू पुत्र घासी, लालचन्द पुत्र घासी, श्रवण पुत्र घासी, सुरजमल पुत्र घासी हिस्सा 1/3 कौम माली, सोदान पुत्र श्रवण हिस्सा 1/6 कौम माली सा. देह खातेदार	225/1	0.0056 हैक्टेयर	बा.अ. रास्ता	–	सुनहरा
	कुल कितां 01 कुल रकबा 00.0056 हैक्टेयर					

आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुहर के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)